SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
April – June 2024
Vol-1
Issue-2

महिला एवं विधि

माधव शरण पाठक
शोधार्थी (विधि विभाग)
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

मनु स्मृति मे कहा है "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता"[1] अर्थात जहां महिलाओ का सम्मान होता है वहां ईश्वर निवास करते है यह हमारी भारतीय संस्कृति है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में किष्किंधाकांड मे लिखा है -

अनुज वधु भग्नि सुत नारि। सुनु सठ कन्या सम ए चारि।।
इन्हहि कुदृष्टि विलोकहु जोई। ताहि वधै कछु पाप न होहि।।[2]

संक्षेप कहा जाए यदि कोई महिलाओ को कुदृष्टि से देखे भी तो उसका वध करने पर कोई पाप नही लगता। महाभारत काल मे द्रौपदी के अपमान पर कुरूक्षेत्र मे कुरू वंश का संपूर्ण नाश हुआ। इतिहास के पन्ने उलटने पर यह स्पष्ट है कि नारी जाति का अपमान रावण, बालि, कंस, दुर्योधन की समूल मृत्यु का कारण बना।

विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा महिलाओ को पुरूषो के समकक्ष लाने के लिए मानव अधिकारो एवं विभिन्न एजेंसियो के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। जिसमें यूएनओ चार्टर 1945, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1948, महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर कन्वेंशन 1954, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1966, महिलाओं की समानता पर मेक्सिको की घोषणा 1975, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन प्रमुख है। भारतीय विधि में, संविधान में, दंड विधि मे, व्यक्तिगत विधियो में विशिष्ट रूप प्रावधान किए गए है यहां इस लेख के माध्यम से उन प्रावधानो का उल्लेख किया जा रहा है जो आज के परिप्रेक्ष्य मे महिलाओ को जानना नितांत आवश्यक है।

(1) महिला एवं संविधान

भारतीय संविधान मे मौलिक अधिकार मे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रावधान किए गए है जिनमे अनुच्छेद 15 एवं 16 मे महिलाओ को पुरूषो के समकक्ष लाने के लिए राज्य को विशिष्ट विधि बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, नीति निदेशक तत्वो मे अनुच्छेद 39 मे समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 41 में काम की उचित और मानवीय स्थिति, अनुच्छेद 42 मे प्रसूती सहायता, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता प्रावधान बनाने राज्य को नीतिया बनाने संबंधी प्रावधान किए गए है, एवं अनुच्छेद 51ए मौलिक कर्तव्य प्रावधान किए गए है इसके अलावा केन्द्र, राज्य एवं न्याय पालिका मे महिलाओ के विशिष्ट आरक्षण प्रदान किए गए है।[3]

(2) महिला एवं दंड विधि

दंड विधि के अंतर्गत मे महिला संबंधी अपराध अध्याय 20 धारा 493 से 498 तक (द्विविवाह, जारकर्म एवं अन्य अपराध) उल्लिखित है अध्याय 20(क) धारा 498 (क) पति एवं उसके नातेदार द्वारा महिलाओ के साथ की जाने वाली मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक क्रूरता के संबंध मे दंड प्रावधानो का उल्लेख है जिसका प्रयोग महिलाओ द्वारा पुलिस रिपोर्ट या सीधे न्यायालय मे परिवाद फाइल कर किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओ के साथ शारीरिक रूप से, इंटरनेट, फेसबुक या अन्य सोशल साइट के माध्यम से किए जाने वाले छेडछाड के मामलो को धारा 354A,354B,354C एवं 354D के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट या परिवाद के माध्यम से न्यायालय मे दर्ज कराए जा सकते है। बलात्कार संबंधी अपराध धारा 376 के माध्यम से दर्ज किए जाते है अवयस्क पीडिता की दशा मे पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामले मे दर्ज होते है जिनमे जमानत अभियुक्त प्राप्त होना बिरलतम से बिरलतम दशा मे प्राप्त होती है। धारा 304 ख विवाह के सात सालो के भीतर होने वाली वधु की मृत्यु के संबंधी अपराध एवं दंड के बारे प्रावधान करती है। भ्रूण हत्या संबंधी अपराध धारा 312 से 318 तक प्रावधानित हैं।[4] भारतीय न्याय संहिता जो 202301 जुलाई 2024 से लागू होगी के अंतरगत अध्याय 5 में धारा 63 से 99 तक महिलाओ एवं बच्चों के संबंध में अपराधों का प्रावधान किया गया है। जिसकी धारा 63 से 73 तक लैंगिक अपराध धारा 74 से 79 तक आपराधिक बल एवं हमला, धारा 80 से 87 तक विवाह संबंधी अपराध एवं धारा 88 से 92 तक गर्भपात संबंधी अपराध

प्रावधान उल्लिखित है।[5] दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 पत्नि व माता को भरण पोषण के अधिकार का प्रावधान, तथा धारा 154 महिलाओ की रिपोर्ट महिला पुलिस अधिकारी पूर्ण शिष्टता के साथ लेख करने का प्रावधान करती है इसके अलावा महिलाओ संबंधी अपराधो का विचारण जहां तक संभव महिला जज के माध्यम से सुने जाने का प्रावधान भी करती है।[6] भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो 01 जुलाई 2024 से लागू होगी की धारा 144 पत्नि व माता को भरण पोषण के अधिकार का प्रावधान, तथा धारा 173 महिलाओ की रिपोर्ट महिला पुलिस अधिकारी पूर्ण शिष्टता के साथ लेख करने का प्रावधान करती है इसके अलावा महिलाओ संबंधी अपराधो का विचारण जहां तक संभव महिला जज के माध्यम से सुने जाने का प्रावधान भी करती है।[7] भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 113(ख) एवं 114(क) न्यायालय को महिला संबंधी अपराधो मे विशिष्ट उपधारणा करने को निर्देशित करती है।[8] भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो 01 जुलाई 2024 से लागू होगी की धारा 118 एवं 120 न्यायालय को महिला संबंधी अपराधो मे विशिष्ट उपधारणा करने को निर्देशित करती है।[9]

(3) महिला एवं व्यक्तिगत विधि

व्यक्तिगत विधियो मे महिलाओ को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है जैसे हिंदु विवाह अधिनियम 1956 मे धारा 9 न्यायिक पृथक्करण, दाम्पत्य अधिकारो की पुनर्स्थापना, धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद, भरण पोषण, एवं द्विविवाह आदि।[10] हाल ही मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शायरा बानो के मामले तीन तलाक की कुप्रथा को शून्य घोषित किया गया है।

(4) महिला एवं अन्य विधि

अन्य विधियो मे महिलाओ को सुरक्षा कवच विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874, बाल विवाह (निरोध) अधिनियम 1929, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत महिलाओं का सशक्तिकरण, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम 1971, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम 1987, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन और

रोकथाम) अधिनियम 1994, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम 1956 द्वारा प्रदान किया गया है

(5) महिला एवं भारतीय न्याय व्यवस्था

भारतीय न्यायपालिका भी महिलाओं की रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई फैसले सुनाए है जिसमें -

(1) अपर्णा भट्ट एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य

(2) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य

(3) मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम

(4) जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

(5) शायरा बानो बनाम भारत संघ

(6) सरला मुद्गल बनाम भारत संघ

(7) अरुणेश कुमार बनाम बिहार राज्य

(8) सबरीमाला मामला

(9) निर्भया केस

(10) लक्ष्मी बनाम भारत संघ

(11) मैरी रॉय बनाम केरल राज्य वगैरह महत्वपूर्ण मामले हैं[11 & 12]

महिलाओ के विरूद्ध पूरे देश मे अपराधो पर एक नजर दौड़ाई जाए तो आंकडे डराने वाले ही हैं। (a) वर्ष 2015 मे महिलाओ के विरूद्ध मामले 3,27,394 (b) वर्ष 2017 मे 3,59,849 (c) वर्ष 2018 में 3,78,236 (d) वर्ष 2019 मे 4,05,861 और वर्ष 2019 के इन मामलो को वर्गीकृत किया जाए तो बलात्कार मामले 32,033 बलात्कार के प्रयत्न मामले 4038 यौन उत्पीड़न एवं लज्जा भंग मामले 88,387 स्त्री लज्जा अनादर मामले 6939 पाक्सो एक्ट 46,056 साइबर क्राइम 1645 दर्ज हुए है।[13]

हाल ही मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने महिलाओ के विरूद्ध होने वाले अपराध को गंभीरतापूर्वक लेते हुए दिनांक 18 मार्च 2021 को अपर्णा भाट और अन्य बनाम मध्यप्रदेश

राज्य एवं एक अन्य AIR 2021 SC 1492 के मामले मे निर्णीत किया है कि "विधि ऐसी शर्तो पर जमानत प्रदान करने की अनुमति नही देता जिससे उचित विचारण की प्रक्रिया प्रभावित हो। अभियुक्त,पीड़िता से राखी बंधवाए, पीड़िता से शादी करे,कोविड योद्धा के रूप मे पंजीकृत हो, सुलह करे आदि शर्तो पर जमानत प्रदान किया जाना न्यायालय को किसी दांडिक अपराध मे विरोधी के बीच मे न्याय के पुनः वार्ता और सुलह के प्रति और जेंडर स्टीरियोटाइप्स के प्रति संदेहास्पद बना देता है। स्टीरियो टाइपिंग महिला के एक उचित विचारण को प्रभावित करता है।"

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विधि और विधानो ने मातृशक्ति को सुरक्षित कर रखा है लेकिन आवश्यकता है हमारे समाज की मनोदशा के परिवर्तन की जो नारी और पुरूष की समकक्षता को स्वीकार करे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मनुस्मृति
2. रामचरितमानस किष्किंधा कांड
3. भारत का संविधान
4. भारतीय दंड संहिता 1860
5. भारतीय न्याय संहिता 2023
6. दंड प्रक्रिया संहिता 1973
7. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
8. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872
9. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023
10. हिंदू विवाह अधिनियम 1956
11. एससीसी ऑनलाइन ला जर्नल
12. मनुपात्रा ऑनलाइन ला जर्नल
13. Judgment & Law Today